615

संख्या-205 / VI-2/2014-22(09)2012

प्रेषक,

डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संस्कृति , पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग -2 देहरादून दिनांक :30 मार्च, 2014

विषय :-शहरी क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधा योजना (यू0एस0आई0एस0) के अन्तर्गत स्पोर्ट्स स्टेडियम काशीपुर, जनपद उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड में बहुउद्देशीय इण्डोर हॉल के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या मैमो/काशी0बु0इ0हा0पत्रा0 /2012-13/ दे0दून दिनांक 22 मार्च, 2014 संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिव युवा कार्यकम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 100-29/2013-यू0एस0 आई0एस0 (पाइका)(III)/9874 दिनांक 11.09.2013 द्वारा शहरी क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधा योजना (यू0एस0 आई0 एस0) के अन्तर्गत स्पोर्ट्स स्टेडियम काशीपुर, जनपद उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड में बहुउद्देशीय इण्डोर हॉल के निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि ₹6.00 करोड़ के अन्तर्गत प्रस्तुत आंगणन ₹692.11 लाख के टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त संस्तुत कुल आंगणन ₹690.27 लाख (सिविल कार्यो हेतु ₹550.82 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार ₹139.45 लाख) मात्र की धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गयी है। औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹690.27 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि ₹6.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में **₹1,80,00,000 (₹एक करोड़ अस्सी लाख)** मात्र की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संगत लेखाशीर्षक से आहरित कर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर के पी0एल0ए0 खाते में निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जमा करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. प्रस्तावित सभी कार्यों को एक प्राजेक्ट के रूप में करते हुये दिनांक 22-3-2013 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक के कम में जारी कार्यवृत्त में दिये गये

-2-

निर्देशों के अनुसार परियोजना प्रत्येक दशा में 24 महीने के भीतर पूर्ण की जायेगी। किसी भी स्थिति में पुनः पुनरीक्षित आगणन तथा नये कार्यों को प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। आगामी स्वीकृति मांगे जाने के समय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवश्य अवगत कराया जाय।

2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. पी0एल0ए0 से धनराशि के आहरण हेतु राज्य के वित्तीय संसाधन एवं वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिकोण से धनराशि फेज मैनर में वित्त विभाग की सहमति से आहरित कर व्यय की जायेगी, इस कार्य हेतु अनुबन्ध सम्बन्धित एजेन्सी / कार्यदायी संस्था से कराया जायेगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दूसरी किश्त जारी की जायेगी।
4. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
5. कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
7. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एंव मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
8. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475 / XXVII(7) / 2008

3–

**10.** दिनांक–15.12.2008, शासनादेश संख्या–414 / XXVII (7) / 2007, दिनांक–23.10.2008 एवं शासनादेश संख्या–594 / XXVII(7) / 2010 दिनांक 09.06.2010 के अनुसार MOU हस्ताक्षरित कर समय सारिणी के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय।

**11.** कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यों से इतर कार्यों / उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

**12.** कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

**13.** निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य के गुणवत्तापरीक्षण के सम्बन्ध में नियोजन विभाग से समन्वय का तद्नुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज से वहन किया जायेगा।

**14.** उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102 खेलकूद स्टेडियम–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0106– शहरी खेल अवस्थापना सुविधा–00–24 वृहत निर्माण कार्य** के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

**15.** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–420(P) / XXVI(3) / 2013–14 दिनांक 29मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं

**भवदीय,**

**(डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत)**
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–205/ VI-2/2014–22(09)2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1 / 105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
4. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
7. महाप्रबंधक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम देहरादून।
8. जिला क्रीड़ा अधिकारी, उधमसिंहनगर।
9. एन0आई0सी0 देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।